

प्रेस नोट दिनांक- 17.05.2025

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

◆थाना अलीनगर पुलिस द्वारा 3 बैग में से कुल 58 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब कुल मात्रा लगभग 30.375 लीटर बरामद करते हुए दो अन्तर्राज्यीय अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांगहे द्वारा शराब तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (आईपीएस) व क्षेत्राधिकारी PDDU नगर राजीव सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 17.05.2025 को समय करीब 00.45 बजे मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पचफेड़वा रिंग रोड के पास से दो अभियुक्तों क गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान

1-समीर अहमद पुत्र असगर निवासी मोहल्ला थाना चौक थाना नगर थाना सासाराम जिला रोहतास बिहार उम्र 22 वर्ष

2-बिट्टू कुमार पुत्र अनिल प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम नवरतन बाजार थाना नगर थाना सासाराम जिला रोहतास बिहार उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई।

समीर अहमद एक पिट्टू बैग व एक झोला बरामद हुआ। पिट्टू बैग को खोलकर देखा गया तो 08 बोतल फुल ब्लेण्डर प्राइड प्रत्येक मात्रा 750 ml, तथा 08 बोतल हाफ ब्लेण्डर प्राइड प्रत्येक बोतल मात्रा 375 ml तथा झोले से 07 बोतल फुल ब्लेण्डर प्राइड प्रत्येक मात्रा 750ml व 11 बोतल हाफ ब्लेण्डर प्राइड प्रत्येक बोतल मात्रा 375 ml बरामद हुआ

बिट्टू कुमार के कब्जे से 01 बोरी मे रखा हुआ शराब बरामद हुआ जिसमे 08 बोतल फुल ब्लेण्डर प्राइड व 16 बोतल हफ ब्लेण्डर प्राइड प्रत्येक मात्रा 375 ml बरामद हुआ।

गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 154/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

समीर अहमद पुत्र असगर निवासी मोहल्ला थाना चौक थाना नगर थाना सासाराम जिला रोहतास बिहार उम्र 22 वर्ष

बिट्टू कुमार पुत्र अनिल प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम नवरतन बाजार थाना नगर थाना सासाराम जिला रोहतास बिहार उम्र 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण–

मु.अ.सं. 154/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान –

दिनांक - 17.05.2025

समय -00.45 बजे

स्थान – पचफेड़वा रिंग रोड के पास से थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

बलेण्डर प्राइड 23 बोतल फुल प्रत्येक बोतल मात्रा 750 ml व 35 बोतल हाफ प्रत्येक बोतल मात्रा 375ml कुल मात्रा 30.375 लीटर

बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 30 हजार आंकी गयी है ।

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

उ0नि0 अनिल कुमार यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

का0 प्रवेश सिंह सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

► □ थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा एक पिकअप वाहन से वध हेतु ले जाते समय कुल 04 राशि गोवंश को किया गया बरामद।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांगहे के निर्देशानुसार जनपद के रास्ते गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चन्द्रशेखर (आईपीएस) व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.05.2025 को 30नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना मिली कि एनएच 02 हाइवे स्थित ग्राम बगही कुम्भापुर के पास एक पिकअप सर्विस लेन पर खड़ी है।

थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा पहुँचकर एक पिकअप संख्या यूपी70एलटी9799 में से 04 राशि गोवंश बरामद किया गया। वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 117/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। बरामदगी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का स्थान व समय-

एनएच 02 हाइवे स्थित ग्राम बरठी कमरौर 15.05.2025 को समय करीब 18.24 बजे

बरामदगी का विवरण:-

1. 04 राशि गोवंश (गाय)
2. 1 वाहन इन्ट्रा पिकप

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय- थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2. 30नि0 ओमप्रकाश यादव थाना सैयदराजा चन्दौली ।
3. हे0का0 शिवशंकर बिन्द थाना सैयदराजा चन्दौली
4. हे0का रुपनारायण सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली